राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3206 / 2025

सपना

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) भरतपुर जिला भरतपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिनौता चौकी ब्लॉक धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल (महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल) में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है और अपीलार्थी ने अपना आवेदन पत्र जमा किया और लिखित परीक्षा में उपस्थित हुई तथा उसका चयन किया गया। अपील में अपीलार्थी ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा पारित 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नगला दूत बयाना जिला भरतपुर में पदस्थापित किया गया, इसके बावजूद अपीलार्थी ने उपरोक्त उल्लेखित स्कूल का उल्लेख विकल्पों में नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग की अनुसूची के अनुसार लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ है और अपीलार्थी का चयन हुआ है। अपीलार्थी ने 44 अंक प्राप्त किए हैं और जिला भरतपुर में 940 मेरिट नंबर भी प्राप्त किए हैं। अपीलार्थी ने जिला भरतपुर को चुना है (अनुलग्नक–2)। जिला

भरतपुर का विकल्प चुनने के बाद, प्रत्यर्थी विभाग ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी और अन्य चयनित अभ्यर्थियों को जिला भरतपुर में अपनी पसंद का पदस्थापन विद्यालय भरने का निर्देश दिया और प्रत्यर्थी विभाग के निर्देशानुसार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रासंगिक समय सीमा के भीतर विकल्प भर दिए (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग संख्या 1 ने दिनांक 26.06.2025 का आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया कि चयनित अभ्यर्थियों को उनकी पसंद या अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार पद आवंटित किया जा सकता है (अनुलग्नक–4)। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2025 के अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 30.6.2025 का आदेश भी पारित किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नगला दूत जिला भरतपुर में दो दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है (अनुलग्नक–5)। आदेश दिनांक 30.6.2025 के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.07.2025 (अनुलग्नक–6) द्वारा ऑनलाइन कार्यमुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के विकल्पों पर विचार किए बिना अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से 80 किलोमीटर दूर पदस्थापित कर दिया गया।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक

आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष